13

अपील सूचना अधिकार संख्या 148/2015 अनवानी राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर 148/2015 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

11—04—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2015 के द्वारा उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से चाही गई 9 बिन्दुओ की सूचना उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः—

1. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर में डेपूटेशन पर अन्य विभाग से नियुक्त व अधिकारियो के नाम व पद की सूचना।
2. वह अवधि की सूचना जिस अवधि के लिए डेपूटेशन पर नियुक्ति की गयी है उसकी सूचना व डेपूटेशन के दिनांक की लिखित सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. डेपूटेशन की नियुक्ति के समाप्त होने की अवधि की सूचना।
4. जिस कार्य का निष्पादन करने हेतू डेपूटेशन किया गया या उस कार्य की प्रकृति की सूचना
5. व कार्य के समापन होने वाली अवधि की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. डेपूटेशन पर कार्यरत श्रीगंगानगर में कार्य करने वाले कर्मकार व अधिकारियों के नाम व पद की सूचना व कार्य जिसका निष्पादन कर रहे है उसकी सूचना।
7. वह अवधि जिस अवधि से डेपूटेशन पर कार्यरत कर्मकार कार्यरत है व कार्यरत रहेगा।
8. डेपूटेशन की अवधि समाप्त होने की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश की।
9. जिस प्रकृति के कार्य हेतू जिस कर्मकार का डेपूटेशन अन्य विभाग से श्रीगंगानगर के कलक्टर कार्यालय व इसके अधिनस्त कार्यालयो में नियुक्त किये गये है उस कार्य के लिए अन्य कोई कर्मकार कलक्ट्रेट कार्यालय मे जानकर नही या विशेष योग्यता नही रखता या उस कार्य की इस बाबत सूचना। अर्थात डेपूटेशन पर नियुक्ति के उद्देश्य की सूचना।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 25718 दिनांक 30.10.15 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र सं0 25122 दिनांक 05.10.15 के द्वारा सूचित कर दिया गया था।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने पत्र सं0 25122 दिनांक 05.10.2015 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः—

> उपरोक्त विष्यान्तर्गत प्रार्थना पत्र में आपने सूचना के अधिकार के तहत सूचना चाही है। उसमें या तो प्रश्न पूछे गये है अथवा जो कुछ जानना चाहा है वह सूचना की परिभाषा में नही आता है। सूचना प्रश्नात्मक एवं सृजनात्मक है।
>
> राजस्थान सूचना आयोग जयपुर की अपील संख्या 2471/2009 राधेश्याम गोयल बनाम अधीक्षण अभियन्ता जोधपुर डिस्कॉम गंगानगर के निर्णय 12.03.2010 में भी अपीलार्थी ने अपने आवेदन के माध्यम से जो सूचनाए चाही थी उसमें या तो प्रश्न पूछे गये है अथवा जो कुछ जानना चाहा था वह सूचना की परिभाषा में नही आता, अपील अस्वीकार की गई थी।
>
> अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र धारा 2(च) के अन्तर्गत खारिज किया जाता है।

शा.नि.
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 05.10.2015 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर